

23. 6.17 पत्रावली काट के पत्रों से ईवाका
पर पेश / प्रांतवादी अधिवक्ता द्वारा
प्राप्त-पत्र पेश कर बताया गया की
पत्रावली सं. 2/11 अन्तर्गत अधि. धारा
145 C.R.P.C की प्रावधानों के तहत से अंग्रेज
आराजिघात का प्रकरण 5.5.0 मीलवाडा
में विचारार्थ है पत्रावली उक्त
प्रकरण 5.5.0 मीलवाडा को अिजा के

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जब

नम्बर
ग्रहक
हुक्म
में ज

S.O.C भीलवाडा में अन्तर्गत धारा
145 C.R.P.C का वाद म अंतर्गत
आराजिपाल का विचार दिनु होने से
प्रकारण S.O.C भीलवाडा का रजिस्ट्रार-तला
विषय जाता है प्र. रज १॥ के साथ संलग्न
करे।

~~कमल~~
~~रजिस्ट्रार~~
रजिस्ट्रार

१/१२